(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 45 / 2023
दिनांक 23 नवम्बर, 2023

विषय:– प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाना।

सा.आ. (अ.): दिनांक 28 / 10 / 2023 की अधिसूचना सं. 42 / 2023 [सा. आ. 4719 (अ)] के अधिक्रमण में और विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 07 में प्याज की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
0703 10 19	किलोग्राम	प्याज:	मुक्त	दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक 800 अमेरिकी डॉलर एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन (एम.टी.) के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम.ई.पी.)के अध्यधीन

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3. प्याज की निम्नलिखित खेपों को एमईपी के बिना निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी:

i जहां प्याज की खेप 29 अक्तूबर, 2023 (तिथि जब से दिनांक 28 / 10 / 2023 की अधिसूचना सं. 42 / 2023 [सा. आ. 4719 (अ)] लागू हुई है) से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है / जहां प्याज की खेप 29 अक्तूबर, 2023 (तिथि जब से दिनांक 28 / 10 / 2023 की अधिसूचना सं. 42 / 2023 [सा. आ. 4719 (अ)] लागू हुई है) से पहले निर्यात हेतु सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुकी है और इस अधिसूचना के जारी होने से पहले इन वस्तुओं की सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ सीमा शुल्क स्टेशन के संबंधित अभिरक्षक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक होगी।

ii निर्यात शुल्क का इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भुगतान कर दिया गया है। ऐसा निर्यात शुल्क रिफंड योग्य नहीं है।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

प्याज का निर्यात 'मुक्त' है। 31 दिसंबर, 2023 तक न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 800 अमेरिकी डॉलर एफओबी प्रति मीट्रिक टन (एमटी) लगाया गया है। दिनांक 28 / 10 / 2023 की अधिसूचना सं. 42 / 2023 [सा. आ. 4719 (अ)] का अधिक्रमण किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
23.11.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फा.सं. 01 / 91 / 171 / 50 / विविध / एएम21 / ई–26586 से जारी)